इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 जनवरी 2017—पौष 21, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. 641-6-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक ८ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ११ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १९६१ का संशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में, उपधारा (४) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यत: पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.".

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2017

क्र. 641-6-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 8th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2017.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Tritiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2016. **Short title.**

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

2. In Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956.**

"Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards inevitably by completed before six months of completion of tenure of any Municipal Corporation otherwise the State Election Commission shall start electoral process on the basis of preset and prevailing delimitation:

Provided further that inclusion or exclusion of such area or reformation of wards shall apply for upcoming election process.".

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

3. In Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:— **Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of 1961.**

"Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards inevitably be completed before six months of completion of tenure of any Municipal Council otherwise the State Election Commission shall start electoral process on the basis of preset and prevailing delimitation:

Provided further that inclusion or exclusion of such area or reformation of wards shall apply for upcoming election process.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.